युक्तियुक्तकरण : कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

- सीनियर शिक्षक को हटाकर जूनियर को पदस्थ करने पर उठे सवाल
- विसंगति को लेकर दायर की गई है याचिका

नईदुनिया प्रतिनिधि, विलासपुर: शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर एक अहम याचिका पर सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता शिक्षिका सरोज सिंह ने आरोप लगाया है कि उन्हें नियमों के खिलाफ अतिशेष घोषित कर स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि नव बहाल शिक्षिका अनुपमा सारौगी को उसी विद्यालय में पदस्थ कर दिया गया है।

सरोज सिंह वर्ष 2018 से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अचोली (जिला बेमेतरा) में व्याख्याता (अंग्रेजी) के पद पर कार्यरत हैं। जबकि अनुपमा सारौगी की बहाली वर्ष 2025 में हुई है। इसके बावजूद उन्हें बनाए रखा गया और सरोज सिंह को हटाया गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अनादी शर्मा ने कोर्ट में दलील दी कि यह निर्णय युक्तियुक्तकरण नीति और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

कोर्ट के पुराने आदेश की अवहेलना का आरोप: पूर्व में याचिकाकर्ता ने इसी मामले में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। तब कोर्ट ने युक्तियुक्तकरण समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और तब तक स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। लेकिन याचिकाकर्ता के अनुसार, इस आदेश का उल्लंघन करते हुए समिति के बजाय निर्णय जिला शिक्षा अधिकारी ने पारित कर दिया। जबकि डीईओ स्वयं इस सूची के आदेशकर्ता अधिकारी हैं, जो कि न्याय अपने ही मामले में देने के सिद्धांत का उल्लंघन है। राज्य की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता ने कहा कि अनुपमा सारौगी की वरिष्ठता उनकी मूल नियुक्ति तिथि से गिनी गई है, न कि विद्यालय में जाइनिंग की तिथि से। इसके जवाब में याचिकाकर्ता के वकील ने शिक्षक राकेश गुप्ता का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें भी हाल ही में बहाल किया गया था, लेकिन प्रशासन ने उनकी जाइनिंग तिथि को आधार मानते हुए उन्हें जूनियर मानकर अतिशेष घोषित किया था।

पक्षपात और दुर्भावना का लगा आरोप

अनादी शर्मा ने कहा कि एक ही स्थिति में दो शिक्षकों के लिए अलग-अलग नियम लागू करना प्रशासन की पक्षपातपूर्ण मानसिकता को दर्शाता है।
युक्तियुक्तकरण नीति में स्पष्ट है कि जिस शिक्षक की सेवा पहले से है, उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह मामला जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ में सुना गया। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह निर्णय न केवल याचिकाकर्ता के भविष्य को प्रभावित करेगा, बल्कि पूरे राज्य में युक्तियुक्तकरण से जुड़े मामलों में मिसाल बन सकता है।